फा.सं फा.1 /279(90)/2026/ भर्ती-I

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती I अनुभाग

पद का नाम	आयुष मंत्रालय में सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय, चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) के स्थायी पद के लिए 01(एक) (अना.-01) रिक्ति।
विज्ञापन सं.	07/2026
रिक्ति सं.	26060702127

महत्वपूर्ण निर्देश:

वे उम्मीदवार जो इन पदों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के कारण अभ्यावेदन करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक **23/11/2026** तक उचित आधार / कारणों के साथ अभ्यावेदन **teams-rect@gov.in**पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के पश्चात प्राप्त मेल खोली नहीं जाएंगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधार / कारण से अपनाए गए मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शार्टलिस्ट किया जाएगा और अन्यों की अस्वीकृति बनाए रखी जाएगी। हालांकि, ऑनलाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इसकी जांच की जाएगी। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण, इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। अपना अभ्यावेदन भेजने / मेल करने वाले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें **पद का नाम**, **फाइल संख्या**, **रिक्ति संख्या और अनुक्रमांक** स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यताएं **(अ.यो.)**	**(क) शैक्षिक** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड या परिषद या भारतीय चिकित्सा संकाय से सिद्धा में डिग्री, या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के तहत मान्यता प्राप्त समतुल्य डिग्री। (ii) भारतीय चिकित्सा के केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में पंजीकरण। **(ख) अनुभव** शून्य

वांछनीय योग्यताएँ (वां.यो.)	शून्य

अपनाए गए मानदंड	(i) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदनों में भरी गई सूचना तथा आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की गई है। (ii) केवल ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिकयोग्यता, डीक्यू (योग्यता), और अनुभव के दावे को ही जांच के लिए स्वीकार किया गया है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की संवीक्षा की गई जिन्होंने अपनी ईक्यू, और अनुभव से संबंधित किए गए दावों के लिए पद के लिए उन्हें पात्र बनाने हेतु मांगी गई सूचनाओं के संबंध में दावा किया है और ऑनलाइन भर्ती आवेदन के संबंधित मॉड्यूल में संदर्भ के बिना संलग्न दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। (iii) आवेदनों की संवीक्षा भर्ती नियमों और प्रश्नगत रिक्ति के लिए लिए अपनाई गई पद्धतियों एवं मापदंडों के अनुसार की गई है। (iv) सिद्धा चिकित्सा में अनुभव को लागू किया गया है और उसे दो वर्ष या उससे अधिक तक बढ़ाया गया है। सिद्धा के क्षेत्र में किसी भी प्रकृति का अनुभव, यथा- चिकित्सा अभ्यास, शिक्षण, अनुसंधान, फार्माकोलॉजी आदि, को प्रासंगिक माना गया है। (v) ऐसे आवेदन जिन में दावा किया गया अनुभव पर्याप्तया प्रासंगिक नहीं माना गया है, उन्हें एलईसी के रूप में अस्वीकृतकर दिया गया है। (vi) अनुभवप्रमाण-पत्रआयोगकेदिनांक 23.12.2010 केपरिपत्रसं. एफ. 8/84/2010-आर(सीएण्डपी) के संदर्भ के अनुसार निर्धारित प्रारूप में होने चाहिएं। तथापि, जहाँ भी आवेदकों ने निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, यदि उनका अनुभव प्रमाणपत्र, निर्धारित अनुभव प्रमाणपत्र में दिए गए विवरणों को पूरा करता हो तो उनके अनुभव प्रमाणपत्रों पर मेरिट पर विचार किया गया है। (vi) नियुक्तिपत्र, कार्यालयआदेश, त्यागपत्र, वेतनप्रमाणपत्र, सेवाप्रमाणपत्र और अभ्यर्थियों द्वारा स्वयंसत्यापित प्रमाणपत्र यास्व-रोजगार प्रमाणपत्र को अनुभव प्रमाण नहीं माना गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को 'अपूर्ण' श्रेणी में अस्वीकृत कर दिया गया है। (vi) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों की प्रकृति स्पष्टरूप से नहीं दर्शायी गई है, उन पर

	विचार नहीं किया गया और उन्हें 'अपूर्ण' मानकर अस्वीकार कर दिया गया। इसीप्रकार, जिन आवेदकों ने प्रासंगिक अनुभव का दावा किया है, लेकिन उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र दावा की गई पूरी अवधि के लिए नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया है। केवल प्रासंगिक अनुभव की अवधि, जिसके लिए अपेक्षित/प्रासंगिक अनुभव दर्शानेवाले अनुभवप्रमाण-पत्र पर ही विचार किया गया है। (vi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है**,** उन्हें सबसे उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है। **नोट: आयोग द्वारा अलग-अलग मामले पर उसके अनुरूप मानदण्ड अपनाए जाते हैं।**

संवीक्षा

01 अनारक्षित रिक्ति

मानदंड:अ.यो.{क(i)} को बढ़ाते हुए सिद्धा में स्नातकोत्तर डिग्री तक किया गया + अ.यो.{क(ii)} + सिद्धा चिकित्सा में 02 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव।

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवार:-

अनुक्रमांक:

02 10 12 26 30 39 41$^{\$1}$ 46 58 62 64$^{\$1}$ 72 88 97

(14 उम्मीदवार)

$1 ओआरए में उल्लिखित संबंधित नाम की तुलना में दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में आवेदक के नाम में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

अस्वीकृति:-

अधिक आयु

अनुक्रमांक:	**कारण**
31	निर्धारित प्रारूप में एआरसीप्रस्तुत नहीं किया गया है।

(01 उम्मीदवार)

एलईसी

अनुक्रमांक:	**कारण**
25	गैर-पीएचडी अनुसंधान अनुभव को 01 वर्ष तक कम करने के पश्चात, कुल प्रासंगिक अनुभव 02 वर्ष से कम है।
78	केवल एक वर्ष पांच माह के अनुभव को ही प्रासंगिक माना गया है।

(02 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

कारण	**अनुक्रमांक**
अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	15, 65
1) 05-03-2024 से 28-11-2024 तक की अवधि के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2) ओआरए में उल्लिखित संबंधित नाम की तुलना में दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में आवेदक के नाम में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	18
01-11-2022 से 31-07-2024 तक की अवधि के लिए ईसी पर हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगी है।	89
1) अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें विशिष्ट सिद्ध अनुभव दर्शाया गया हो,प्रस्तुत नहीं किया गया है। *2)* ओआरए में उल्लिखित संबंधित नाम की तुलना में दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में आवेदक के नाम में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	93

(**05 उम्मीदवार**)

शेष 79 आवेदनों को एलईसी (निर्धारित अतिरिक्त मानदंडों की पूर्ति न करना) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है, क्योंकि संबंधित आवेदकों ने या तो सिद्ध चिकित्सा पद्धति (सिद्ध) में दो वर्ष से अधिक का अनुभव होने का दावा नहीं किया है अथवा सिद्ध में स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) की योग्यता का दावा नहीं किया है।

(79 उम्मीदवार)

उन सभी **उम्मीदवारों की सूची**,जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था,उनके **अनुक्रमांक** के साथ आयोग की वेबसाइट के निम्नलिखित पथ**: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>> भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची पर अपलोड कर दी गई है।**

❖ **संकेतक:**

ओआरए - ऑन लाइन भर्ती आवेदन

ईक्यू- अनिवार्य योग्यता

एलईसी – बढ़ाए गए मानदंड में कमी

परामर्शदाता

उपर्युक्त के संबंध में किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध मूल पाठ मान्य होगा ।